न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–97/2016/भीलवाड़ा (2016/00093)

1. शंकरलाल पुत्र छोगा, जाति कुमावत, निवासी डांग का खेड़ा (चावण्डिया)तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा ।
2. भैरूलाल पुत्र छोगा, जाति कुमावत, नि0 डांग का खेड़ा (चावण्डिया) तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 15.6.2016 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 285/2015 .

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 के इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा चावण्डिया में हाल जमाबंदी खाता संख्या 114 में आराजी संख्या 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा अन्य आराजियात के साथ अपीलांट के नाम पर खातेदार हक से अंकित है तथा अपीलांट काबिज काश्त होकर फसल काश्त करता चला आ रहा है । साबिक आराजी संख्या 909 में से दिनांक 25.1.1979 को रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटन

की गई थी जिसके बटा नंबर 2208/909 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कायम होकर अपीलांट के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद खातेदार हक से अंकन की गई । अपीलांट के पिता ने उक्त आराजी में से 1 बीघा भूमि रायमल पुत्र उदा कुमावत को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से बैचान कर दी जिसके नवीन खसरा संख्या 2330/909 रकबा 1 बीघा कायम हुए । तत्पश्चात् रायमल पुत्र उदा ने पुनः शांतिदेवी पत्नि बालूराम कुमावत को विक्रय कर दी तथा शेष आराजी रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा अपीलांट के नाम पर रही जिसके आराजी खसरा संख्या 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा है । उक्त आराजी राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने से अपीलांट ने एक रिपोर्ट तहसीलदार के यहां दिनांक 15.5.2014 को प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार, करेड़ा के आदेशानुसार पटवारी हल्का ने मौका पर्चा तैयार कर उक्त आराजी को सुपुर्दगीनामे व मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में हाल जमाबंदी के नंबर दर्ज नहीं कर आवंटन के समय के आराजी नंबर 909/1 दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट के आराजी संख्या 2208/909 है जिसके उत्तर दिशा में आराजी संख्या 2330/909 रकबा 1 बीघा शांतिदेवी कुमावत के नाम पर है एवं दक्षिण दिशा का हिस्सा 1 बीघा 14 बिस्वा, जिसके आराजी संख्या 2208/909 है, जो कि शंकरलाल अपीलांट के नाम दर्ज होकर काबिज है । इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना चाहिये था किन्तु गिरदावर व पटवारी हल्का ने त्रुटिवश आवंटन के समय के नंबर नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिये जिसे दुरूस्त किया जाकर मौके पर कब्जे एवं सुपुर्दगीनामें के अनुसार जहां पर अपीलांट का कब्जा है वहां पर वर्तमान आराजी संख्या 2208/909 को तरमीम किया जाना न्योचित है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 15.6.2016 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 ने तीनों प्रार्थना पत्रों में दर्शाये कथनों को नहीं समझा तथा पूर्व में तैयार पर्चा मौका व वर्तमान में तैयार पर्चा मौका में भी भारी विरोधाभास होने से वर्तमान पर्चा मौका के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र जल्दबाजी में बिना प्रार्थी को नोटिस दिये राजस्व लोक अदालत कैम्प चावण्डिया में नियत कर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आराजी संख्या 909 में अपीलांट को भूमि आवंटित की गई थी । आवंटन पश्चात् आवंटियों को

हल्का पटवारी द्वारा भूमि सुपुर्द की जाकर मूल आवंटन मिसल में नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत करायी गई । सुपुर्दगीनामे के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज है जिसका जमाबंदी में तो अंकन कर दिया गया परन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामा के मुताबिक तरमीम नहीं की जाकर अशुद्ध अंकन कर दिया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पर्चो से होती है । मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक मानकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया लेकिन तीनों प्रार्थना पत्रों में अलग-अलग अभिकथनों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत पड़ौस दर्शाये गये है । दक्षिण दिशा में बालू पुत्र राजमल का बाड़ा नहीं होकर 1 बीघा भूमि जो कि छोगा पुत्र उदा कुमावत को आवंटन शुदा आराजी संख्या 909/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा से रायमल पुत्र उदा को 1 बीघा विक्रय किया गया स्थित है, रायमल ने शांति पत्नि बालू कुमावत के नाम बैचान की जिसके बढ़ते हुए आराजी संख्या 2330/909 है एवं शेष रकबा 2208/909 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान में अपीलांट शंकरलाल के नाम पर दर्ज है जो कि छोगा पिता उदा की विरासत से दर्ज हुई है । रेस्पो0 संख्या 1 सुवालाल को आवंटन 1983 में हुआ जिससे 50 वर्षो से कब्जा होने का प्रश्न हीं नहीं है । आराजी संख्या 909/1 रेस्पो0 संख्या 6 की तरमीम बताई गई थी किन्तु नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं है जो नक्शा फौजदारी मामला में लगाया गया है वह फर्जी है । छोगा पुत्र उदा को आराजी संख्या 909/1 के 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी । सुपुर्दगीनामा बनाया उसमें आराजी संख्या 909/1 दर्ज कर नक्शा ट्रेस तैयार किया गया जो संलग्न प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन का नामांतकरण दर्ज किया तब आराजी संख्या 909 के बढ़ते हुए खसरा संख्या डाले गये जो आराजी संख्या 2208/909 दर्ज हुए है । आराजी संख्या 909 में से 2 बीघा 14 बिस्वा के आवंटन होने पर मौके पर सुवालाल पुत्र उदा कुमावत की मौजूदगी में ही सुपुर्द की गई थी । उक्त सुपुर्दगीनामे पर सुवालाल के हस्ताक्षर मौजूद है । सुवालाल को आवंटन छोगा कुमावत के बाद हुआ था । रेस्पो0 संख्या 1 मोहन पिता बख्तावर कुमावत मौके पर आवंटित भूमि पर सुपुर्दगीनामे में दर्ज नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं बैठा है । अधी0न्याया0 को सुपुर्दगीनामे के अनुसार तरमीम किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने नया मौका पर्चा मंगवाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष अधी0न्याया0 द्वारा दिया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमनें उभयपक्ष अभिभाषगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पटवारी हल्का चावण्डिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 909 बिलानाम में से रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता छोगा पि0 उदयराम कुमावत को आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी । आवंटन के पश्चात् सुपुर्दगी नामे में उक्त आराजी को 909/1 रकबा 2 बीघा 14 दर्ज कर आवंटी को सुपुर्द की गई थी । उक्त आराजी का जमाबंदी में रोटेशन नामांतकरण संख्या 166 के अनुसार 2208/909 दर्ज हुआ है । अपीलांट के कथनानुसार एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि उक्त रकबे में से रकबा 1 बीघा विक्रय होकर नवीन आराजी नंबर 2330/909 जमाबंदी में दर्ज किया गया है । पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी मौके पर काबिज हुए जिसका जमाबंदी में तो अकन कर दिया किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में सुपुर्दगीनामे के मुताबिक तरमीम नहीं की जाकर अशुद्ध अंकन किया गया था । तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया था जिसका अधी0न्याया0 ने रिकार्ड एवं मौके का तुलनात्मक परीक्षण उपरांत नजरी नक्शे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं कर पाये है कि अधी0न्याया0 के निर्णय में क्या त्रुटि रही है तथा अपीलांट क्या अनुतोष चाहता है अपील मीमों में स्पष्ट नहीं किया है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

6- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 97/2016 (2016/00093) बउनवानी शंकरलाल बनाम राज0 सरकार व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रा0पत्र संख्या 285/2015 बउनवान शंकरलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर